HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 2 — HLA OF 2023

PANDIT LAKHMI CHAND STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in its Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Act, 2023. Short title.

2. In the long title of Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014 (hereinafter called the principal Act), for the word "PANDIT", the word "DADA" shall be substituted. Amendment of long title of Haryana Act 24 of 2014.

3. In the short title of the Principal Act, for the word "Pandit", the word "Dada" shall be substituted. Amendment of short title of Haryana Act 24 of 2014.

4. In clause (m) of section 2 of the principal Act, for the word "Pandit", the word "Dada" shall be substituted. Amendment of section 2 of Haryana Act 24 of 2014.

5. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the word "Pandit", the word "Dada" shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 24 of 2014.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

State University of Performing and Visual Arts, Rohtak was established by an Act of Legislature of State of Haryana (Act 24 of 2014) by upgrading the integrated campus of Government Technical Institution(s) Societies, Rohtak, comprising of four institutes namely State institute of Fine Arts, State Institute of Design, State Institute of Film and Television and State Institute of Urban Planning and Architecture into a leading University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of Higher Education with focus on new frontiers of design, Fine Arts, Film & Television, Urban Planning and Architecture and also to achieve excellence in these and connected fields. These four institutions were started in the year 2011 with annual intake of 240 students and were affiliated with the Maharishi Dayanand University, Rohtak. The State Govt. has provided 35.97 Acres of land for the construction of Teaching and Admin block, hostels, Guest house, Staff residencies etc. and was providing 100% Grant-in-Aid to these institutions. This University is emerging as one of the leading University of the Country in the Performing & Visual Arts and in the field of Mass Media.

Thereafter, the Government changed the name of the University to "Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak" through an State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment), Act, 2018 (Haryana Act No. 10 of 2019) with the name of Indian poet of Haryanvi language, who was honored posthumously as Surya Kavi by the State Government.

Now, keeping in view the popularity of Pandit Lakhmi Chand as Dada Lakhmi Chand, the Govt. has again taken the decision to change the name of the University as "Dada Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak".

In view of above, it has been decided that the name of the University be amended from "Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak" to "Dada Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak".

MOOL CHAND SHARMA,
Higher Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 23rd February, 2023.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 23rd February, 2023, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE PANDIT LAKHMI CHAND STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK ACT, 2014

1. This Act may be called Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014. Short title.

2. Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014. Amendment of long title of Haryana Act 24 of 2014.

2(m). "University" means Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak, as incorporated under this Act;

3(1). There shall be a body corporate by the name of Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak comprising of the Chancellor and the Vice-Chancellor of the University, the members of the Court, the Executive Council, the Academic Council and all persons, who may hereafter become or be appointed as such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership.

10223—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–2 एच०एल०ए०

पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023

पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, ''पंडित'' शब्द के स्थान पर, ''दादा'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत् नाम का संशोधन।

3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, ''पंडित'' शब्द के स्थान पर, ''दादा'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के संक्षिप्त नाम का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में, ''पंडित'' शब्द के स्थान पर, ''दादा'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) में, ''पंडित'' शब्द के स्थान पर, ''दादा'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 3 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक की स्थापना डिजाइन, ललित कला, फिल्म और टेलीविजन, नगरीय योजना और वास्तुकला के नये सीमांतों पर केन्द्रित सहित उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए और इन क्षेत्रों और सम्बन्धित क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चार संस्थान अर्थात् राज्य ललित कला संस्थान, राज्य डिजाइन संस्थान, राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान और राज्य नगरीय योजना और वास्तुकला संस्थान को मिला कर अग्रज विश्वविद्यालय के रूप में सरकारी तकनीकी संस्था (संस्थाओं) सोसाइटी, रोहतक के एकीकृत परिसर को अपग्रेड करके हरियाणा राज्य विधानमंडल (2014 के अधिनियम 24) के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ये चार संस्थान 240 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ वर्ष 2011 में शुरू हुए थे तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्ध थे। राज्य सरकार ने शिक्षण और प्रशासन ब्लॉक, छात्रावास, गेस्ट हाउस, कर्मचारी आवास इत्यादि के निर्माण के लिए 35.97 एकड़ भूमि प्रदान की है और इन संस्थानों को 100% अनुदान–सहायता प्रदान कर रही थी। यह विश्वविद्यालय प्रदर्शन और दृश्य कला में और मास मीडिया के क्षेत्र में देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में उभर रहा है।

उसके बाद, सरकार ने हरियाणावी भाषा के भारतीय कवि जिसे राज्य सरकार द्वारा मरणोपरांत सूर्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था, के नाम से विश्वविद्यालय का नाम राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम नं० 10) के माध्यम से "पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक" किया गया था।

अब, पंडित लखमी चंद की दादा लखमी चंद के रूप में लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने पुनः विश्वविद्यालय का नाम "दादा लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक" के रूप में नामित करने का फैसला किया है।

उपरोक्त को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय का नाम "पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक" से "दादा लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक" में संशोधित किया जाएगा।

मूल चंद शर्मा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 23 फरवरी, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 से उद्धरण

1. यह अधिनियम पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम।

2. पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014। — 2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत् शीर्षक में संशोधन।

2(ड) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक।

3(1) कुलाधिपति, कुलपति, कोर्ट, कार्य परिषद, शिक्षा परिषद के सदस्यों और सभी व्यक्तियों, जो इसके बाद, ऐसे अधिकारी अथवा सदस्य बने या नियुक्त कियें जाएं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहें, मिलकर पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम से निगमित निकाय होगा।

10223—H.V.S.—H.G.P., Pkl.